

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

छिंदवाड़ा शहर के विभिन्न मार्गों—छिंदवाड़ा शहर —02,
दमुआं मार्ग, तामियां-पचमढी मार्ग हेतु

साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक सह—परिवहनकर्ता
कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

चतुर्थ ई—निविदा आमंत्रण

वर्ष 2023—2026



जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

दुग्ध संयंत्र, खजरी रोड, छिंदवाड़ा

मोबाइल नंबर—9407392919, 7024439601

E-mail : milkplantchw@gmail.com

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
दुग्ध संयंत्र, खजरी रोड़, छिंदवाड़ा

साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

1.	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन माध्यम से क्रय करने की प्रारंभ तिथि एवं समय	दिनांक 17.07.2024 से दोपहर 1.00 बजे
2.	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 17.07.2024 दोपहर 1.00 बजे
3.	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 23.07.2024 दोपहर 1.00 बजे
4.	तकनीकी अहर्ताएँ परीक्षण दिनोंक एवं समय स्थान	दिनांक 24.07.2024 दोपहर 3.00 बजे दुग्ध संयंत्र, खजरी रोड़, छिंदवाड़ा-480001
5.	निविदा के साथ जमा की जाने वाली ई.एम.डी. राशि।	रु. 20000/- (रु. बीस हजार मात्र) प्रति मार्ग के मान से ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से जमा।
6.	वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु “तकनीकी अहर्ताएँ” का प्रारूप।	परिशिष्ट क्र. 01
7.	वितरक सह परिवहनकर्ता की आवश्यक “सामान्य शर्तें”	परिशिष्ट क्र. 02
8.	भाव पत्र/दरें प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप	परिशिष्ट क्र. 03 (केवल ऑनलाईन भरें)
9.	वितरक सह परिवहनकर्ता का परिचय	परिशिष्ट क्र. 04
10.	शपथ पत्रों के प्रारूप	परिशिष्ट क्र. 05 से 09
11.	अनुबंध प्रारूप एवं शपथ पत्र	परिशिष्ट क्र. 10 एवं 13
12.	मार्ग संबंधी जानकारी	परिशिष्ट क्र. 11 एवं 12

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- **परिशिष्ट क्र 01** “तकनीकी अहर्ताएँ” का तथा **परिशिष्ट क्र 02** निविदा की शर्तें एवं **परिशिष्ट क्र. 04** यथा वांछित दस्तावेजों का अध्ययन कर ऑनलाईन के माध्यम से प्रपत्र भरकर प्रस्तुत किये जावे।
- **परिशिष्ट क्र क. 03** “भाव पत्र/दरें” केवल ऑनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत की जावे।
- निविदा में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- निविदाकार जिस मार्ग हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, ऑनलाईन के माध्यम से निविदा प्रपत्र में संपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से भरी जावे।

टिप्पणी :-

1. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जाएंगी।

2. निविदा कार्य अवधि:-

निविदाएं निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2023-2026 (तीन वर्ष) के लिए आमंत्रित है। तीन वर्ष उपरांत कार्य संतोषजनक होने की दशा में एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तीन वर्ष के कार्यकाल की गणना कार्य आवंटन आदेश की तिथि से मान्य की जावेगी।

3. न्यूनतम अर्हताएं एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण

स.क्र.	विवरण	स.क्र.	विवरण
	टेक्निकल बिड में सफल होने के लिए निविदाकार को निम्न अर्हताएं अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगी।		अर्हता की पूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में निम्न सभी अनिवार्य दस्तावेज टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होंगे, अन्यथा टेक्निकल बिड निरस्त की जायेगी।
	अनिवार्य अर्हताएं-		अनिवार्य दस्तावेज
4.1	अपना परिचय व विवरण उदघोषित करना होगा। स्वामित्व/फर्म/भागीदारी/कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।	4.1.	निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु इस दस्तावेज के परिशिष्ट क्र.04 को पूर्णतः भर कर प्रस्तुत करें। फर्म/कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है।
4.2	निविदाकार स्वामित्व (प्रोप्राइटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत) /भागीदारी फर्म की स्थिति में मध्यप्रदेश एवं स्थापना तथा पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।	4.4	निविदाकार स्वामित्व (प्रोप्राइटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिये। भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीयन एवं म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिये जिसके प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न करें।
4.3	तकनीकी बिड के साथ निर्धारित ई.एम.डी. राशि (ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से जमा) की पावती लगाना अनिवार्य है।	4.5	तकनीकी बिड के साथ रु. 20000/- की ई.एम.डी. राशि जमा हों।
4.4	आयकर विभाग से आयकर के स्थायी खाता धारक हो।	4.6	आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.5	वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की आयकर विवरणी आयकर विभाग में जमा हो। (Assessment year 2021-22 एवं 2022-23)	4.7	आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहे हैं को वितरक सह परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में पूर्व वर्षों का आयकर जमा विवरण संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।

6. निविदा दस्तावेज कय हेतु –

निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्युमेन्ट) वेबसाइट [http:// www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) एवं www.sanchidairy.com पर अवलोकन एवं डाउनलोड किए जा सकते हैं। निविदा दस्तावेज के कय मूल्य की राशि रु. 1000/- (रु. एक हजार रुपये मात्र) का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।

निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :

स्वामित्व/फर्म/कंपनी के अधिकृत निविदाकार प्राधिकारी ही निविदा फार्म पर अधिकृत हस्ताक्षर करें, वे हैसियत का वैध प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

क्र.	निविदाकार का स्वरूप	निविदा कौन भर सकेगा (निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति अधिकृत हस्ताक्षर से ही निविदा प्रस्तुत कर सकेंगे)
1	एकल स्वामित्व	स्वामी स्वयं या उसका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
2	भागीदारी फर्म	सभी भागीदार या उनका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
3	कंपनी	कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति (कंपनी के अर्न्तनियमों की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
जबलपुर।

महोदय,

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के अन्तर्गत _____ (मार्ग का नाम) से साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ के विक्रय हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा ऑनलाईन जमा की गई अमानत राशि रु. 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र) प्रति मार्ग के मान से पावती क्रमांक दिनांक से ऑनलाईन अपलोड कर रहा हूँ।

तकनीकी अर्हताएँ

क्र.	तकनीकी अर्हताएँ	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/पंजीकृत सहकारी संस्था अथवा अन्य) है।		प्रोप्राइटर पंजीयन प्रमाण पत्र/ पार्टनरशिप डीड/पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2.	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
3.	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) का जी.एस.टी नम्बर होना आवश्यक है। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहे हैं को वितरक सह परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में एक माह के भीतर जी. एस.टी नम्बर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।		जी.एस.टी. नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहे हैं को वितरक सह परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में एक माह के भीतर जी.एस.टी नम्बर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4.	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी के बैंक का नाम व (Current) चालू खाता क्रमांक। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहे हैं को वितरक सह परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में बैंक में (Current) चालू खाता खोलकर जानकारी उपलब्ध कराना होगा।		बैंक खाते का एक स्वप्रमाणित निरस्त मूल चेक संलग्न करें। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहे हैं को वितरक सह परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में बैंक में (Current) चालू खाता खोलकर स्वप्रमाणित निरस्त (Cancelled) मूल चेक उपलब्ध कराना होगा।
5.	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) का वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 का आयकर जमा (ITR) विवरण संलग्न करना आवश्यक है। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहे हैं को वितरक सह परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में पूर्व वर्षों का आयकर जमा विवरण संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की आयकर विवरणी (चार्टर्ड एकाउंटेंट) द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहे हैं को वितरक सह परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में पूर्व वर्षों का आयकर जमा विवरण संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।
6.	खुदरा विक्रय/परिवहन हेतु निर्धारित वैध FSSAI लायसेन्स होना आवश्यक है। ऐसे		FSSAI लायसेन्स की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। ऐसे निविदाकर्ता

	निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहे हैं को वितरक सह परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में एक माह में FSSAI लाईसेंस प्राप्त कर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।		जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहे हैं को वितरक सह परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में एक माह में FSSAI लाईसेंस प्राप्त कर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
7.	ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. राशि रु. 20,000/- (बीस हजार रुपये) की रसीद लगाना अनिवार्य है।		ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रु. 20,000/- (बीस हजार रुपये) की रसीद संलग्न करें।
8	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी एवं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं है। (इस बाबत रु.100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		निविदा पत्र के परिशिष्ट '05' पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर मूल शपथ पत्र नोटराइज्ड कराकर संलग्न करें।
9	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी को एमपीसीडीएफ /अन्य किसी भी दुग्ध संघ एवं किसी शासकीय/ अशासकीय संस्था द्वारा किसी भी कार्य हेतु टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है। (इस बाबत का रु.100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।)		ब्लेक लिस्ट न किये जाने के संबंध में रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटराइज्ड कराकर निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट "06" अनुसार संलग्न करें।
10	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म /पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी के विरुद्ध किसी भी थाने में आर्थिक अथवा अन्य अपराध संबंधी प्रकरण दर्ज नहीं है। (इस बाबत रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)		निविदा पत्र के परिशिष्ट '07' पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटराइज्ड कराकर संलग्न करें।
11.	निविदाकर्ता द्वारा पूर्व या वर्तमान में वितरक/परिवहनकर्ता/वितरक सह – परिवहनकर्ता के रूप में कार्यरत या कार्य किया गया है व आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं तो परिशिष्ट '08' निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।		निविदा पत्र के परिशिष्ट '08' पर संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।
12.	उपलब्ध वाहन का प्रकार— मॉडल, क्षमता तथा पंजीयन क्रमांक स्वयं का/संस्था के नाम पर पंजीकृत होना आवश्यक है।		उपलब्ध वाहन के समस्त दस्तावेज की छायाप्रति लगावें। नया वाहन खरीदने की दशा में रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें। (परिशिष्ट क्रमांक 09)

नोट :- (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर _____

नाम :- _____

पता :- _____

टेलीफोन नं./मो. नं _____

साँची दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता हेतु

निविदा की आवश्यक सामान्य शर्तें :-

1. दुग्ध वितरक सह-परिवहनकर्ता हेतु निविदा ऑनलाईन आमंत्रित की जाती है, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन के माध्यम से जबलपुर दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर को नियत दिनांक को समय सीमा में प्राप्त हो जाना चाहिए।
2. निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर यह समझा जावेगा की उनके द्वारा वितरक सह-परिवहनकर्ता निविदा हेतु दी गई समस्त सूचनाओं, शर्तों एवं अनुबंध आदि का भली-भांति अध्ययन कर लिया गया है एवम् निर्धारित मार्ग की जानकारी से स्वयं को अवगत करा लिया गया है।
3. निविदाकार को निविदा पत्र के साथ स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है। (कंपनी/फार्म)
4. यदि निविदाकार एक से अधिक मार्गों हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं तो प्रत्येक मार्ग हेतु ई.एम.डी राशि रु. 20000/- प्रति मार्ग के मान से भुगतान कर पावती प्रस्तुत करना होगी।
5. निविदाकार के पास स्वयं का इन्स्युलेटेड वाहन..... (वाहन का प्रकार) या समकक्ष वाहन मॉडल वर्ष 2016 या उसके बाद के पंजीकृत वाहन होना अनिवार्य है, साथ ही संलग्न किये जा रहे वाहन में निविदाकार के पास निविदा प्रस्तुत करते समय इंसुलेटेड वाहन उपलब्ध नहीं है तो निविदा स्वीकार होने की दिनांक से एक माह की अवधि में इन्सुलेटेड बॉडी बनवाकर (थर्मोकोल हैवी डेन्सिटी 2इंच "या पफ इन्सुलेशन 2 इंच) व वाहन में दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय की गई डिजाईन अनुसार वाहन के दोनों तरफ व पीछे विनाइल पेस्टिंग स्वयं के व्यय से कराकर वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, इस हेतु रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरीज्ड शपथ पत्र निविदा के साथ **परिशिष्ट क.09** अनुसार प्रस्तुत करें। अन्यथा निविदा निरस्त कर ई.एम.डी. राजसात कर ली जावेगी। वाहन संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेज इस कार्यालय में जमा करना होगा।
6. निविदाकार को निविदा के साथ रु. 20000/- (रु. बीस हजार रुपये) ई.एम.डी. के रूप में प्रति मार्ग के मान से ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी जमा न करने की स्थिति में निविदाकार की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
7. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार द्वारा चाही गई प्रतिभूति राशि समय अवधि में जमा कराना अनिवार्य होगा जिसकी विवरण सारणी निम्न है :-

क्र.	मार्ग का विवरण	औसत विक्रय मात्रा ली./दिन (लक्ष्य)	प्रतिभूति राशि रुपये (पाँच दिवस के विक्रय के बराबर)	विवरण
1.	जबलपुर दुग्ध संघ के अन्तर्गत दुग्ध संयंत्र, छिंदवाड़ा वितरण- छिंदवाड़ा शहर-02	943	225000/-	मार्ग का विवरण परिशिष्ट क्र. 11 एवं 12 में संलग्न है।
2.	दमुआं मार्ग	682	150000/-	
3.	तामियां + पचमढी मार्ग	1772	375000/-	

सफल निविदाकार को अंतरिम कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की समय सीमा में वर्णित अनुसार प्रतिभूति राशि (निविदा में निर्धारित औसत विक्रय पाँच दिवस के विक्रय के बराबर) दुग्ध संघ में अग्रिम जमा करना होगा। प्रतिभूति राशि जमा किये बगैर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

8. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर निविदाकार की ई.एम.डी. राजसात कर अंतरिम कार्य आदेश निरस्त कर दिया जाएगा।

9. निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सफल निविदाकार को मार्ग अनुसार निविदा में चाही गई प्रतिभूति राशि नगद/आरटीजीएस अथवा डीडी के माध्यम से जो कि पेयबल ऐट "जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित" जबलपुर के नाम से देय होगा, दुग्ध संघ में जमा करनी होगी। ईएमडी राशि का निविदा स्वीकृती उपरांत समायोजन प्रतिभूति राशि से किया जा सकेगा। प्रतिभूति राशि निर्धारित समय सीमा में जमा न होने की दशा में निविदा निरस्त कर जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी संपूर्ण जवाबदेही निविदाकार की होगी।
10. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अमानत राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही निविदाकार का ऐसा निविदा प्रपत्र निरस्त समझा जाएगा।
11. निविदा स्वीकृत की स्थिति में सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रु.1000/- के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु पत्र जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
12. आवश्यकता प्रतिपादित होने पर केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से ही नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।
13. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ का होगा।
14. निविदाकार के पास निविदा में प्रत्येक मार्ग की निविदा में मांगे गये वाहन यदि उपलब्ध हो तो उसे (निविदाकार) निविदा के साथ वाहन के संपूर्ण दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा दस्तावेज संलग्न न होने की दशा में **परिशिष्ट 09** अनुसार शपथ पत्र संलग्न न होने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
15. निविदाकार को वितरक मार्जिन 50 पैसे (पचास पैसे) प्रति ली. वर्तमान प्रचलित नीति अनुसार रहेगा। निविदाकार द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की राशि में से केवल वितरक मार्जिन एवं निविदा में स्वीकृत परिवहन दर की राशि काटकर शेष राशि प्रतिदिवस दुग्ध संघ खाते में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
16. निविदाकार का नियुक्ति उपरांत कार्य संतोषजनक ना पाये जाने पर या आदेश के उल्लंघन करने पर या लापरवाहियाँ अथवा चोरी करते पाये जाने पर चोरी की गई सामग्री की राशि का 50 गुना अर्थदण्ड एवं पुनरावृत्ति होने पर पृथक किये जाने व विधि अनुसार निविदा निरस्त करने की कार्यवाही करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
17. निविदा स्वीकृति के उपरांत वितरक सह-परिवहनकर्ता की कार्य अवधि **तीन वर्षों** के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह-परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं स्वीकृत दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम **दो वर्ष** हेतु बढ़ाई जा सकेगी। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह-परिवहनकर्ता का कार्य उक्त अवधि में संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।
18. अनुबंध अवधि में वितरक सह-परिवहनकर्ता को आवंटित वितरण मार्ग पर निविदा के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत वाहन की क्षमता से अधिक दूध की मांग होने की दशा में वितरक सह-परिवहनकर्ता को जबलपुर दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार उपयुक्त क्षमता के अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह परिवहनकर्ता को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
19. निविदा में निर्धारित सभी औपचारिकताएं समय सीमा में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी एवं अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।
20. कोई भी ऐसी संस्था या व्यक्ति निविदा प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होंगे जिनको पूर्व में शासकीय/अशासकीय संस्था/दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ एवं एमपीसीडीएफ के अधीन अन्य दुग्ध संघों की नियम शर्तों का उल्लंघन करने के कारण कार्य से पृथक अथवा ब्लैक लिस्ट किया है, इस बाबत रु. 100 के नोटराइज्ड स्टॉम्प पेपर पर **परिशिष्ट क्र.06** अनुसार शपथ पत्र भरकर अनिवार्य रूप से देना होगा।

21. जबलपुर दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके परिवार के सदस्य इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। इस बाबद भी निविदाकर्ता को निविदा के साथ आगामी पृष्ठ पर संलग्न शपथ पत्र **परिशिष्ट क. 05** में भरकर आवश्यक रूप से देना होगा, जिसको संबंधित विभाग द्वारा सत्यापित करवाये जाने के पश्चात् ही कार्य आदेश दिया जाएगा। यदि निविदाकार द्वारा दिया गया शपथ पत्र किसी भी समय गलत पाया जाता है एवं निविदाकार अपात्र अथवा उनसे संबंधित पाये जाते हैं तो कार्य आवंटन पश्चात् भी प्रस्तुत निविदा एवं आवंटित कार्य निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी तथा ऐसे निविदाकार का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जायेगा।
22. निविदाकार को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना अनिवार्य होगा।
23. वितरक सह-परिवहनकर्ता को निविदा स्वीकृत होने के उपरांत कार्य आवंटित होने की स्थिति में आवंटित मार्ग में स्वयं का साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के उचित भण्डारण, वितरण एवं विक्रय हेतु एक एक्सक्लूज़िव आउटलेट खोलना अनिवार्य होगा। जिससे की उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं/दुग्ध पार्लर/रिटेलरों को साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुगमता से उपलब्ध हो सके।
24. निविदाकार यदि वर्तमान में वितरक सह-परिवहनकर्ता/वितरक/परिवहनकर्ता के रूप कार्यरत है तथा उनकी निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु जारी किये जाने वाले पत्र से पूर्व यदि किसी भी मद में दुग्ध संघ की लेनदारी बकाया है तो ऐसे निविदाकार को संपूर्ण लेनदारियां संघ में निर्धारित की गई समय सीमा में जमा करने के उपरांत ही औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु पत्र दिया जावेगा। **परिशिष्ट क. 08** अनुसार घोषणा प्रमाण पत्र निविदाकार को जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा में लेनदारी बकाया दुग्ध संघ में जमा न कराये जाने की स्थिति में निविदाकार की निविदा अमान्य करने व विधि अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ का होगा।
25. निविदाकार को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि निविदा प्रपत्र ई-निविदा के माध्यम से (ऑन लाईन) आमंत्रित किये जा रहे हैं। अतः निविदाकार, निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गये मार्ग संबंधित समस्त वांछित दस्तावेज व ई.एम.डी. राशि ऑनलाईन के माध्यम से जमा कर निविदा भरें।
26. डेयरी संयंत्र, छिंदवाड़ा से संबंधित विभिन्न मार्गों की जानकारी परिशिष्ट क्रमांक 11 एवं 12 पर संलग्न है। निविदाकार जिस मार्ग हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, का अध्ययन उपरांत ही निविदा भरें।
27. निविदा में उल्लेखित दस्तावेजों/लाइसेंस आदि के अतिरिक्त भविष्य में यदि शासन द्वारा जी.एस.टी. अथवा अन्य दस्तावेज/लाइसेंस/कानून प्रभावशाली किये जाते हैं तो निविदाकार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे/पूर्णरूपेण पालन करना होगा।
28. निविदाकार के पास जीएसटी नम्बर होना अथवा जीएसटी नम्बर हेतु आवेदन करने का साक्ष्य आवश्यक है।
29. वितरक सह-परिवहनकर्ता को 10 हस्ताक्षरित, रेखांकित चैक (दुग्ध संघ के हित में) दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। वितरक को प्रतिदिन प्रदाय किये जा रहे दूध एवं दुग्ध पदार्थ की राशि प्रतिदिन जमा करना अनिवार्य होगा। (**परिशिष्ट क.13** अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करें)
30. निविदा प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाला अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्तें आवश्यक रूप से पढ़ कर समझ लें।
31. वितरक सह-परिवहनकर्ता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफ.एस.एस.ए.आई.) के अंतर्गत पंजीकरण कराना एवं लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लाइसेंस की छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना होगा।
32. निविदाकार के निविदा में स्वीकृत मार्ग में स्थित संस्थाओं/शासकीय संस्थाओं में प्रदाय किये जा रहे दूध पर सिर्फ निविदा में स्वीकृत परिवहन दर ही प्रदाय होगी। वितरक मार्जिन रु. 0.50 (पचास पैसे) प्रतिलीटर देय नहीं होगा।
33. निविदाकार को अपने मार्ग के पार्लर/बूथ/संस्था की मांग ईआरपी में नियमित रूप से प्रेषित करना होगा।

मेरे/हमारे द्वारा साँची दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली गई है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 33 एवं अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करता हूँ एवं मेरी अर्नेस्टमनी राशि राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम.....

पता.....

पिनकोड नम्बर.....

फोन नम्बर.....

मोबाइल नम्बर.....

ई-मेल पता.....

वित्तीय बिड

क्र.	मार्ग का नाम	परिवहन दरें रु./लीटर (अंको में)	परिवहन दरें रु./लीटर (शब्दों में)
1.	छिंदवाड़ा शहर-02		
2.	दमुआं मार्ग		
3.	तामियां + पचमढी मार्ग		

नोट:-

निविदाकार को केवल परिवहन दर ही प्रस्तुत करनी होगी जो कि केवल ऑनलाईन ही भरनी होगी। भौतिक रूप से वित्तीय बिड भरने पर दरें मान्य नहीं होगी। वितरक मार्जिन 50 पैसे प्रतिलीटर अतिरिक्त देय होगा। (संस्था प्रदायगी पर केवल निविदा में स्वीकृत परिवहन दरें ही देय होंगी।)

हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम _____

निविदाकार का परिचय

 स्वयं का
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट
साईज फोटो
लगावें।

1. निविदाकार का नाम
2. फर्म का नाम
3. पिता का नाम
4. स्थाई/वर्तमान पता

.....(दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)

5. प्रस्तावित मार्ग का नाम
6. दूरभाष/मोबाईल नं.
7. ई-मेल (अनिवार्य)
8. वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु प्रस्तावित मार्ग का नाम
9. शैक्षणिक योग्यता
10. आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है।

11. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें)

12. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ या एफएमसीजी का कोई अनुभव होता तो विवरण
----- (दस्तावेज संलग्न करें)

13. (अ) पेन नम्बर

(ब) FSSAI

(स) GSTIN नम्बर

(द) गुमास्ता (Shop Act.)

(इ) आधार कार्ड नम्बर

. ई.एम.डी.राशि का विवरण

(समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।)

मेरे द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य संबंधी इस फार्म के साथ संलग्न समस्त शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूँ और मान्य करता/करती हूँ। इस हेतु मेरे द्वारा शर्तें हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम-----

शपथ-पत्र रू. (रू. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं..... निवासी.....जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत डेयरी संयंत्र, छिंदवाड़ा(मार्ग का नाम) से संबंधित प्रस्तावित मार्ग में दूध एवं दुग्ध उत्पादों के वितरक सह परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरा जबलपुर दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----

शपथ-पत्र रु. (रु. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं..... निवासी.....जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत डेयरी संयंत्र, छिंदवाड़ा(मार्ग का नाम) से संबंधित प्रस्तावित मार्ग में दूध एवं दुग्ध उत्पादों के वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मुझे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था से ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----

हस्ताक्षर-----

किसी भी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप।

(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— मैं शपथग्राहिता द्वारा जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा आमंत्रित डेयरी संयंत्र, छिंदवाड़ा ————— मार्ग हेतु निविदा प्रक्रिया में भाग लिया गया है। मैं शपथग्राहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

घोषणा पत्र

मैं/हम -----घोषणा करता हूँ/हैं कि मेरे द्वारा जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर/डेयरी संयंत्र, छिंदवाड़ा में वर्ष ----- से परिवहनकर्ता /वितरक सह परिवहनकर्ता के रूप में कार्य किया गया है/कार्यरत हूँ। यदि मैं/हम निविदा में सफल होता हूँ/होते हैं, तो नवीन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यदि जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर में पूर्व/वर्तमान की कोई भी लेनदारी-देनदारी प्रदर्शित होगी तो संपूर्ण लेनदारी-देनदारी का भुगतान/समायोजन निर्धारित अवधि में मेरे/हमारे द्वारा किया जाकर दुग्ध संघ से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा। यदि मेरे/हमारे द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की जाती है तो मेरी/हमारी निविदा निरस्त करने का अधिकार जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर को होगा,जो मुझे मान्य होगा।

दिनांक:-

हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम-----

मोबाईल नंबर-----

पता-----

शपथ-पत्र रु. (रु. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं..... निवासी.....जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत डेयरी संयंत्र, छिंदवाड़ा(मार्ग का नाम) से संबंधित प्रस्तावित मार्ग में दूध एवं दुग्ध उत्पादों के वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मैं एक माह की समय सीमा में वाहन निर्धारित मापदण्ड अनुसार दुग्ध संघ को निर्धारित कार्य हेतु उपलब्ध करा दूँगा तथा निविदा स्वीकार होने की दिनांक से एक माह की अवधि में इन्स्युलेटेड बॉडी बनवाकर (पफ इन्सूलेशन 2 इंच/थर्मकोल हैवी डेंसिटी 2 इंच) व वाहन में दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय की गई डिजाईन अनुसार वाहन के दोनों तरफ व पीछे विनाइल पेस्टिंग स्वयं के व्यय से कराकर वाहन उपलब्ध करवाऊँगा। उक्त के लिये मैं स्वेच्छा से अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----

साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक सह-परिवहनकर्ता अनुबंध प्रारूप

यह अनुबंध आज दिनांक..... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, जबलपुर, जिसे आगे दुग्ध संघ/प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा एवं मेसर्स द्वारा पार्टनर श्रीसे बतौर दूध एवं दुग्ध पदार्थ के वितरक सह-परिवहनकर्ता की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा मार्ग के लिए दिनांक..... से दिनांक तक अवधि वास्ते अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर द्वितीय पक्ष/वितरक/वितरक सह-परिवहनकर्ता नाम से संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत वितरक सह-परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। यदि वितरक सह-परिवहनकर्ता इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस वितरक सह-परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. वितरक सह-परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ में प्रतिभूति राशि निविदा में मांगे गये मार्ग अनुसार दुग्ध संघ कार्यालय में निर्धारित समय सीमा में जमा करनी होगी। दुग्ध संघ में जमा की गई प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्रतिभूति राशि वितरक शिप/वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु जमा होगी किन्तु प्रतिदिन प्रदाय किये जा रहे दूध एवं दुग्ध पदार्थ की राशि प्रतिदिन जमा करना होगी।
3. वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा संघ में जमा की गई प्रतिभूति/सुरक्षा निधि राशि कार्य अवधि पूर्ण होने पर तथा दुग्ध संघ को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद वापस करने की कार्यवाही की जाएगी।
4. निविदा स्वीकृत होने पर प्रथम पक्ष द्वारा चाही गई प्रतिभूति राशि द्वितीय पक्ष को समय अवधि में जमा कराना अनिवार्य होगा जिसकी विवरण सारणी निम्न है :-

क्र.	मार्ग का विवरण	औसत विक्रय मात्रा ली./दिन (लक्ष्य)	प्रतिभूति राशि रुपये (निविदा में निर्धारित औसत विक्रय पाँच दिवस के विक्रय के बराबर)

सफल निविदकार को औपचारिकताएँ पूर्ण करने हेतु पत्र जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में वर्णित अनुसार प्रतिभूति राशि (प्रतिदिन विक्रय किये जा रहे दूध के मूल्य के पाँच गुना के बराबर) दुग्ध संघ में जमा करना होगा बगैर प्रतिभूति राशि जमा किये कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जावेगी। प्रतिभूति राशि का पुनरीक्षण प्रत्येक 03 माह बाद किया जावेगा अर्थात् 03 माह बाद उस मार्ग पर जितनी दूध की विक्रय मात्रा होगी, उसकी कीमत का पाँच दिन के विक्रय राशि के समतुल्य प्रतिभूति राशि जमा करना आवश्यक होगा।

5. द्वितीय पक्ष का नियुक्ति उपरांत कार्य संतोषप्रद न पाये जाने पर या आदेश के उल्लंघन या लापरवाही करने पर नोटिस भेजकर पृथक किये जाने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
6. वितरक सह-परिवहनकर्ता,मार्ग पर स्थित साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद निर्धारित विक्रय केन्द्रों, पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में पहुँचाना सुनिश्चित करेगा। वितरण सुविधा हेतु मार्ग के विक्रय केन्द्रों की संख्या में कमी अथवा बढ़ोत्तरी करने एवं विक्रय केन्द्रों को किसी भी मार्ग से अन्य मार्ग पर दूध प्राप्त करने हेतु अधिकृत करने का अधिकार दुग्ध संघ के पास होगा, जो वितरक सह-परिवहनकर्ता को मान्य करना बंधनकारी होगा साथ ही वितरक सह परिवहनकर्ता को मार्ग के अंतिम विक्रय केन्द्र तक दूध व दुग्ध पदार्थ पहुँचाकर प्रदाय करना होगा।

7. वितरक सह-परिवहनकर्ता दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित वितरक मूल्य पर डेरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र से मांग अनुसार विपणन हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से दुग्ध वाहन विलंब होने की दशा में यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का हजाना आदि नहीं दिया जाएगा।
8. वितरक सह-परिवहनकर्ता को वितरण स्थल से प्राप्त किये गये साँची दूध का वितरण कार्य सिर्फ इन्सुलेटेड वाहन जिसकी भार क्षमता व वर्ष निविदा प्रपत्र में **परिशिष्ट 10** में उल्लेख अनुसार ही करना अनिवार्य होगा।
9. वितरक सह-परिवहनकर्ता, दुग्ध विक्रय एजेंटों को दूध एवं दुग्ध पदार्थ की मांग अनुसार पूर्ण रूप से प्रदाय की व्यवस्था करेगा। एजेंटों की मांग, वितरक या उनके अधीनस्थ कार्य कर रहे कर्मचारी अपनी मर्जी से न घटाएंगे/न बढ़ायेगें।
10. वितरक सह-परिवहनकर्ता निर्धारित रिटेलर दर पर ही दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ नगद भुगतान पर विक्रय एजेंट को देगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि वितरक दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय एजेंटों से वसूली कर रहा है, तो दुग्ध संघ वितरक पर पेनल्टी लगा सकेगा एवं इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति की स्थिति में नोटिस देकर वितरक सह-परिवहनकर्ता का कार्य समाप्त कर सकेगा व काली सूची में डालकर नोटिस दिया जावेगा।
11. वितरक सह-परिवहनकर्ता की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके मान्य प्रमाणित उत्तराधिकारी को उस स्थिति में नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। उत्तराधिकारी का नाम अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय प्रदान किया जाना आवश्यक है।
12. दुग्ध संघ वितरण स्थल डेयरी संयंत्र, छिंदवाड़ा से दूध क्रेट के माध्यम से देगा। जिसे निर्धारित समय में वितरक सह परिवहनकर्ता को उठाना होगा। संयंत्र के वितरण स्थल पर वितरक छांटकर गिनकर, जाँचकर, ग्रहण करेंगे एवं प्राप्ति देंगे। विक्रय एजेंटों को अच्छे पैकेट देगा। दुग्ध वितरण के पश्चात् गुणवत्ता खराब होने की स्थिति में ही परीक्षण उपरांत विपणन विभाग की लिखित अनुमति उपरांत ही रिटर्न दूध के पैकेट वापिस लिये जा सकेंगे।
13. वितरक सह-परिवहनकर्ता को वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त स्वतः का एक लेबर लोडिंग/अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा।
14. वितरक सह-परिवहनकर्ता को वाहन चालक एवं लेबर का नाम व पता संघ को लिखित आधार में सूचित करना होगा एवं इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक होगा।
15. वितरक सह-परिवहनकर्ता को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, जो कि उनके द्वारा सत्यापित होगा, जिसे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को वितरण के दौरान गले में लटकाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र का व्यय वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग दुग्ध संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर की जाएगी।
16. वितरण वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं एजेंटों के बीच उठे विवादों को वितरक सह-परिवहनकर्ता अपनी उपस्थिति में शांतिपूर्वक सुलझावेगा ताकि विवाद न बढ़ने पाये एवं दूध वितरण कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न आने दें। साथ ही ई.पी.एफ./ई.एस.आई./बीमा/लेबर लॉ नियमों का पालन करना परिवहनकर्ता के लिए पेड चालान एवं ईसीआर देना अनिवार्य होगा।
17. वितरक सह-परिवहनकर्ता दुग्ध संघ से प्राप्त क्रेट्स/केन्स आदि का पूर्ण लेखा-जोखा रखेगा एवं प्रत्येक 15 दिवस के अंत में मिलान करना होगा। ऐसा न करने पर दुग्ध संघ के पास वितरक सह-परिवहनकर्ता से क्रेट्स/केन्स की प्रचलित बाजार दर पर प्रतिक्रेट पेनल्टी एवं क्रेट/केन वसूली करने का अधिकार होगा। खाली क्रेट्स/केन्स सुबह 11:00 बजे तक एवं शाम को 8:00 बजे तक एवं समय-समय पर दुग्ध संघ द्वारा जारी समय सारणी अनुसार जमा कराना अनिवार्य होगा।
18. वितरक सह-परिवहनकर्ता शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण रूपेण जबाबदार होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय-समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण बाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरुद्ध की जा सकेगी।
19. वितरक सह-परिवहनकर्ता दुग्ध संघ की सहमति से अपने निर्धारित मार्ग पर विक्रय केन्द्रों की संख्या प्रतिमाह 05 बढ़ानी होगी। दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर वितरक सह परिवहनकर्ता को दिये गये विक्रय लक्ष्यों की पूर्ति करना अनिवार्य है तथा विक्रय केन्द्र आवंटन की प्रक्रिया संघ द्वारा पूर्ण की जाएगी।
20. यह कि प्रत्येक माह के अंत में उभय पक्ष दूध प्रदाय एवं उसकी राशि का हिसाब-किताब का मिलान करेंगे एवं माह की अंतिम तारीख पर जो भी राशि लेना शेष रहती है, वह वितरक/वितरक सह

- परिवहनकर्ता द्वारा जमा करायी जावेगी। वितरक द्वारा मिलान न करने पर दुग्ध संघ अनुसार जो राशि लेना-देना निकलती है, वह मान्य होगी।
21. वितरक/वितरक सह परिवहनकर्ता अपने मार्ग पर अगर कोई नयी एजेंसी खोलता है तो उसकी लिखित सूचना उसे दुग्ध संघ को देना होगी।
 22. वितरक/वितरक सह परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग के बूथ/पार्लर/एजेंसी/अन्य को प्रदाय किये गये दूध की राशि प्रतिदिन संग्रहण करने का दायित्व स्वयं वितरक/वितरक सह परिवहनकर्ता का होगा। किसी भी बूथ/पार्लर/एजेंसी/अन्य के द्वारा किसी भी भुगतान के लिये दुग्ध संघ जिम्मेदार नहीं होगा। किसी भी बूथ/पार्लर/एजेंसी द्वारा प्रदायित माल की राशि न देने पर दूध बंद करने की जानकारी वितरक द्वारा दुग्ध संघ को पूर्व में देना होगी। वितरक को विक्रय केन्द्रों द्वारा जमा की जाने वाली दूध एवं दुग्ध पदार्थ की राशि की पावती तत्काल विक्रय केन्द्र प्रभारी को देना अनिवार्य होगा।
 23. वितरक द्वारा वितरण वाहन में केवल साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थों का परिवहन एवं वितरण किया जावेगा। वितरण वाहन में किसी अन्य सामग्री, प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड दूध एवं दुग्ध पदार्थ एवं प्रतिबंधित वस्तु का परिवहन नहीं किया जावेगा। उपरोक्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ द्वारा अर्थदण्ड रु. 5000/- का अधिरोपण किया जावेगा एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर वितरकशिप निरस्त करते हुए उसकी जमानत राशि राजसात कर सकेगा।
 24. वितरक सह परिवहनकर्ता को आवंटित कार्य किसी अन्य को हस्तान्तरित (Sublet) नहीं कर सकेगा। ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना कोई नोटिस दिये वितरक सह परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन निरस्त कर सकेगा तथा उसकी सुरक्षा निधि (प्रतिभूति राशि) राजसात कर सकेगा।
 25. यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार वितरक सह परिवहनकर्ता की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी समानुपातिक दर से की जा सकेगी। इस हेतु मार्ग की दूरी जो निविदा में वर्णित हो, वाहन का प्रकार टाटा 407 औसतन 10 किमी. प्रतिलीटर, टाटा 608/709 आयशर औसतन 06 किमी. तथा महिन्द्रा पिकअप/समकक्ष औसतन 10 किमी. प्रतिलीटर के आधार पर गणना की जावेगी।
 26. दुग्ध संघ को देय समस्त प्रकार के भुगतान में विलंब किये जाने पर 18% की दर से ब्याज अतिरिक्त वितरक सह परिवहनकर्ता से वसूल किया जावेगा।
 27. समय समय पर दुग्ध संघ वितरक सह-परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग/क्षेत्र हेतु विक्रय लक्ष्य देगा, जिसकी प्राप्ति सुनिश्चित करना वितरक सह-परिवहनकर्ता के लिए बाध्यता होगी तथा लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने पर इस बाबत प्रबंध पक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों को मानने हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता बाध्य होगा। निर्धारित अनुसार लक्ष्य पूर्ति न पाये जाने पर एक नोटिस दिया जाकर कार्य आदेश निरस्त किया जावेगा।
 28. दुग्ध संघ संबंधित मार्ग/क्षेत्र स्थित शासकीय संस्थाओं को उधारी में साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक सह-परिवहनकर्ता के माध्यम से प्रदाय करेगा, जिसकी आवश्यक पावती आदि प्राप्त करने की पूर्ण जवाबदारी वितरक सह-परिवहनकर्ता की होगी। उक्त पावती दुग्ध संघ द्वारा मागे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, व संस्थाओं में प्रदाय पेटे का परिवहन देयक अनुमोदित परिवहन दर पर प्रस्तुत किये जाने पर दुग्ध संघ भुगतान करेगा। कम प्रदाय की राशि परिवहन देयक से काटी जावेगी।
 29. वितरक सह-परिवहनकर्ता प्रतिमाह आवश्यकतानुसार मार्ग के समस्त विक्रय केन्द्र के प्रभारियों को 10 तारीख तक उनको विपणित की गई दुग्ध की मात्रा, राशि आदि का लेखा-जोखा उपलब्ध करवायेगा। तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगा।
 30. दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह-परिवहनकर्ता को समय-समय पर दुग्ध विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता बाध्य होगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि वितरक सह-परिवहनकर्ता विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या उसे दिये समय-समय पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपने व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुये कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें कार्य आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही एक नोटिस मात्र देकर की जावेगी।
 31. वितरक सह-परिवहनकर्ता विपणन कार्य हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता का इन्स्यूलेटेड वाहन स्वयं के नाम से पंजीकृत होना अनिवार्य है।
 32. वितरक सह-परिवहनकर्ता को वितरण कार्य आरंभ करने से पूर्व संघ कार्यालय को वाहन के पंजीकरण से सम्बंधित समस्त दस्तावेज पंजीकरण, परमिट, फिटनेस एवं इन्स्युलेशन आदि का निरीक्षण संघ की गठित समिति को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजों की एक छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा

करनी होगी। वाहन कार्य पर लगाने से पूर्व उसका भौतिक सत्यापन संघ द्वारा गठित समिति से निर्धारित समय सीमा में कराना होगा।

33. वितरक सह-परिवहनकर्ता की संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि में वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा वाहन पंजीकरण से सम्बंधित दस्तावेजों में परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारणवश वितरक सह-परिवहनकर्ता संघ से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है, तो इस हेतु संघ की अनुमति लेना आवश्यक है, तथा वाहन के विक्रय/बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना वितरक सह-परिवहनकर्ता का दायित्व होगा।
34. वितरक सह-परिवहनकर्ता को अपने मार्ग के समस्त दुग्ध विक्रय केन्द्रों एवं शासकीय संस्थाओं आदि से आगामी मांग हेतु निर्धारित चालान संघ में नियमित रूप से जमा करने होंगे। किसी कारणवश चालान संघ में जमा न होने पर राशि रु. 50/-प्रति चालान प्रतिदिन वितरक से दण्ड स्वरूप वसूली योग्य होगी।
35. यह कि वितरक सह-परिवहनकर्ता अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेंगे जितनी कि शीट एवं चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध/प्रोडेक्ट्स वाहन में पाया जाता है तो अधिक दूध/दूध पैकेट, प्रोडेक्ट्स पाये जाने पर दूध/प्रोडेक्ट्स की कीमत का 50 गुना राशि का अर्थदण्ड वितरक सह-परिवहनकर्ता से वसूल किया जावेगा एवं वाहन लोडर को हटाया जाएगा। दैनिक दुग्ध विक्रय राशि के अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित या अन्य कोई भी वसूली वितरक से संघ में जमा चेक बुक/प्रतिभूति राशि के माध्यम से करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
36. अनुबंधित अवधि में वर्तमान में निर्धारित मार्गों के दुग्ध विक्रय के संबंध में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नये मार्ग बनाने का अधिकार संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिया के अंतर्गत वितरकों के मार्गों के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को नये मार्ग में सम्मिलित किया जा सकेगा।
37. वितरक सह-परिवहनकर्ता को शासन द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसआई) जी.एस.टी एवं अन्य वैधानिक दस्तावेज लेना अनिवार्य है जिसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
38. दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह-परिवहनकर्ता को प्रदाय किये गये दूध की समस्त धनराशि आर.टी.जी. एस/एन.ई.एफ.टी के माध्यम से प्रतिदिन जमा किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में दूध एवं दुग्ध उत्पाद राशि लंबित होने पर 18% की दर से ब्याज अधिरोपित किया जायेगा, जो कि वितरक पर बंधनकारी होगा तथा संघ में रेखांकित (दुग्ध संघ के हित में) धनादेश देगा। अपरिहार्य स्थिति में जैसे इन्टरनेट बैंकिंग/सर्वर डाउन होने अथवा लेनदारी लंबित होने आदि की स्थिति में धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जाएगा। इस हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा स्वयं की हस्ताक्षरित चेक बुक उपलब्ध करानी होगी, जिस पर चेकों पर दिनांक उल्लेखित नहीं होगी एवं साथ ही वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा रु 100/-के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जो परिशिष्ट क्रमांक 13 के अनुसार होगा। एमपीसीडीएफ के नियमानुसार वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा धनादेश अनादरित होने की स्थिति में वितरक/वितरक सह परिवहनकर्ता पर नियमानुसार न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।
39. वितरक सह परिवहनकर्ता के किसी भी चेक के अनादरित होने पर चेक की मूल राशि के साथ-साथ अर्थदण्ड की राशि रु. 1000/- वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा जमा करना सुनिश्चित किया जावेगा।
40. बैंक की तकनीकी कारणों या सर्वर डाउन होने के कारणवश अनादरित हुए चेकों का बैंक द्वारा लेटर हेड पर विवरण उपलब्ध कराने पर दुग्ध संघ द्वारा अर्थदण्ड नहीं वसूला जावेगा।
41. दुग्ध संघ प्रदायित दूध एवं दुग्ध उत्पाद की राशि/बकाया क्रेट होने की स्थिति में वसूली योग्य राशि जमा न होने की स्थिति में वितरक सह परिवहनकर्ता पर कानूनी कार्यवाही मय हर्जे-खर्चे के करने हेतु स्वतंत्र होगा या बाउंस धनादेश के तहत भुगतान प्राप्त करने का हकदार होवेगा या उसके द्वारा दुग्ध संघ में जमा Security Deposit/बैंक गॉरंटी/संयुक्त नाम फिक्स डिपॉजिट से अलग-अलग या मिलाकर वसूली करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
42. वितरक सह-परिवहनकर्ता अथवा उसके कार्यरत स्टॉफ के कारण दुग्ध वितरण बाधित होता है तो संघ को हुए नुकसान की सम्पूर्ण भरपाई संबंधित वितरक सह-परिवहनकर्ता से की जावेगी।
43. वितरक सह-परिवहनकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों/संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर संघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही वितरक सह-परिवहनकर्ता को

- करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
44. दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर दिये गये लिखित/मौखिक निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाएँ अनुबंध का ही भाग मानी जायेंगी, जिनका वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
 45. अनुबंध अवधि में वितरक सह-परिवहनकर्ता को आवंटित वितरण मार्ग पर निविदा के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत वाहन की क्षमता से अधिक दूध की मांग होने पर संबंधित वितरक सह-परिवहनकर्ता को जबलपुर दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार उपयुक्त क्षमता के अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा स्वीकृत अनुबंधित दर ही मान्य की जाएंगी। स्वीकृत अनुबंधित दरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा नहीं किया जाएगा।
 46. यह कि मार्ग..... पर श्री/मेसर्सवितरक सह-परिवहनकर्ता के रूप में परिवहन दर रुपये..... प्रति ली. पर कार्य करेंगे।
 47. वितरक सह-परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग में स्वयं का साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के उचित भण्डारण एवं विक्रय हेतु एक एक्सक्लूज़िव आउटलेट खोलना अनिवार्य होगा। इस हेतु मांग अनुसार दुग्ध उत्पाद वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिससे की उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुगमता से उपलब्ध हो सके।
 48. निविदाकार को संबंधित आवंटित मार्ग पर होने वाले व्यय जैसे टोल टोक्स, चालान एवं क्षतिपूर्ति एवं अन्य संबंधित व्यय का भुगतान स्वयं के व्यय पर करना होगा। दुग्ध संघ उक्त व्यय के भुगतान के लिये बाध्य नहीं होगा।
 49. यह अनुबंध तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह-परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
 50. डेयरी परिसर के अंदर वितरक सह-परिवहनकर्ता के अधीन कार्यरत वाहन चालक द्वारा धूम्रपान, तम्बाखू, शराब आदि का सेवन एवं उंची आवाज में गाने गाना बजाना आदि नहीं किया जावेगा वितरण वाहन पर कार्यरत स्टॉफ द्वारा मांग पत्र/प्रदाय विवरण के कागज को फाड़कर संयंत्र में फेंक दिया जाता है इसके कारण संघ परिसर में अनावश्यक गंदगी उत्पन्न होती हैं। अतः वेस्टेज सामग्री निर्धारित स्थान पर ही डस्टबिन में डाली जाये साथ ही वाहन चालक द्वारा डेयरी परिसर में वाहन की रफ्तार अधिकतम 20 किलोमीटर प्रतिघंटा रखी जावेगी।
 51. यदि पक्षकारों के बीच इस अनुबंधित कार्य के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ तो, उस स्थिति में प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट कॉ-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि., भोपाल को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) Arbitration and conciliation act 1996 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।
 52. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र जबलपुर शहर का न्यायालय में रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक सह-परिवहनकर्ता के मध्य दिनांक..... को निष्पादित किया गया है, अन्तर्गत विषयों के संबंधित उभयपक्षों के मध्य विवादों के संबंध में संमस्त क्षेत्राधिकार सहकारी अधिनियमों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय को होगा एवं न्यायलीय क्षेत्राधिकार जबलपुर होगा।
 53. निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट क्रमांक 02 में उल्लेखित निविदा की समस्त सामान्य शर्तें भी इस अनुबंध का हिस्सा होकर वितरक/वितरक सह परिवहनकर्ता को मान्य होंगी।
 54. टंकण त्रुटि या किसी भी कारण शर्तों में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तों को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
 55. अनुबंध की कंडिका 01 से 55 तक वर्णित नियम व शर्तों का वितरक/वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा किसी भी समय उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में एक नोटिस दिया जाकर कार्य आदेश निरस्त करने, जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ को होगा। वितरक/वितरक सह परिवहनकर्ता को अनुबंध की कंडिका 01 से 55 तक का पालन करना अनिवार्य है। वितरक/वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा किसी भी एक या एक से अधिक कंडिकाओं का उल्लंघन पाये जाने पर जारी कार्य आदेश निरस्त कर दिया

जावेगा तथा जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। इस बावत् मात्र एक नोटिस दिया जाकर कार्यवाही की जा सकेगी।

मैं पिता/पति/पत्नी.....

वितरक सह-परिवहनकर्ता मार्ग क्रमांक अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमति.....
..... को घोषित करता/करती हूँ।

यह अनुबंध पत्र उभय पक्ष ने स्वेच्छा से दिनांक ----- को हस्ताक्षर कर निष्पादित किया है। अनुबंध अवधि की समाप्ति तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के निर्देशानुसार वितरक/वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा संतोषप्रद कार्य करने व नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा सभी प्रकार की वसूली उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा अमानत राशि व बैंक गॉरंटी वापस की जा सकेगी। अनुबंध की किसी भी कंडिका का वितरक/वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा उल्लंघन करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा अनुबंध समाप्त कर अमानत राशि आदि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर को होगा। उभय पक्ष में यह अनुबंध पत्र की शर्तें एवं परिशिष्ट भली प्रकार अध्ययन करके स्वेच्छा से संपादित किया है, जो प्रमाण रहे एवं समय पर काम आवे।

(हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष)
परिवहनकर्ता

(हस्ताक्षर प्रथम पक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नाम-----

पता -----

प्रभारी (विपणन)

जबलपुर सह.दुग्ध संघ मर्या.जबलपुर

गवाह के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

गवाह के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

क.	मार्ग का नाम	वाहन क्षमता	मार्ग की दूरी (आना-जाना)	औसत दुग्ध विक्रय (प्रतिदिन)	सुरक्षा निधि /रु.
अ	जबलपुर दुग्ध संघ के अन्तर्गत रीवा संयंत्र दुग्ध वितरण				
1.	छिंदवाड़ा शहर – 02	टाटा एस/समकक्ष वाहन इन्सुलेटेड (तापरोधी) क्षमता (1.5 टन)	50	943	225000 / – (दो लाख पच्चीस हजार रुपये)
2.	दमुआं मार्ग	टाटा एस/समकक्ष वाहन इन्सुलेटेड (तापरोधी) क्षमता (1 टन)	180	682	150000 / – (एक लाख पचास हजार रुपये)
3.	तामियां + पचमढ़ी मार्ग	टाटा 407/समकक्ष वाहन इन्सुलेटेड (तापरोधी) (2.5. टन)	300	1772	375000 / – (तीन लाख पचहत्तर रुपये)

छिंदवाड़ा शहर मार्ग क. 02 की जानकारी –

क.	पार्लर का नाम	क्षेत्र
1.	प्रियदर्शनी पार्लर	डेयरी गेट पार्लर से टी.व्ही. सेनेटोरियम, बस स्टैण्ड, बरारीपुरा, नागपुर नाका, गुरैया रोड, गुलाबरा, परासिया नाका, परतला की एजेंसियां विपणन मार्ग में सम्मिलित है ।
2.	चित्रकूट पार्लर	
3.	सिविल लाईन पार्लर	
4.	बड़वन पार्लर	
5.	डेयरी गेट पार्लर	
6.	परासिया नाका पार्लर	
7.	होटल करण पार्लर	
8.	मानसरोवर पार्लर	
9.	मान्धाता पार्लर	
10.	कलेक्ट्रेड पार्लर	
11.	विवेकानंद पार्लर	
12.	डेनियलसन पार्लर	
13.	जिला उद्योग पार्लर	
14.	सिद्धीविनायक पार्लर	
15.	जवाहर शाला के पास	
16.	मोहन नगर पार्लर	
	संस्थाएँ:-	जिला जेल छिन्दवाड़ा
		बाल शक्ति छिन्दवाड़ा

दमुआं मार्ग की जानकारी –

क.	पार्लर का नाम	क्षेत्र
1.	गांगीवाडा	गांगीवाडा, खिरसाडोह, उमरेठ, परासिया, चांदामेटा, बडकुही, इकलहरा, अंबाडा, गुढी, जामई, डुंगरिया, घोडावाडी एवं दमुआं समस्त शहरी क्षेत्र।
2.	सुनील खिरसाडोह	
3.	प्रेम खिरसाडोह	
4.	उमरेठ डिपो	
5.	सलीम परासिया	
6.	रेल्वे स्टेशन डिपो परासिया	
7.	श्री साहू परासिया	
8.	मुदु टेस्टी परासिया	
9.	आराध्या चांदामेटा	
10.	संतोष चांदामेटा	
11.	बडकुही डिपो	
12.	चंदू इकलहरा	
13.	सोनू इकलहरा	
14.	वर्मा अंबाडा	
15.	राय पान सेंटर अंबाडा	
16.	कमलेश गुढी	
17.	चर्च तिराहा जामई	
18.	जुनेजा जामई	
19.	अंजना जामई	
20.	बत्रा जामई	
21.	गोलू जामई	
22.	जब्बार किराना डुंगरिया	
23.	मानसी घोडावाडी	
24.	नामदेव घोडावाडी	
25.	हेमा घोडावाडी	
26.	रमेश दमुआं	
27.	गुप्ता होटल दमुआं	
28.	गरिबा होटल दमुआं	
	संस्थाएँ:-	डब्लू.सी.एल. हॉस्पिटल बडकुही
		एकलव्य बालक आवासीय विद्यालय, जामई
		एकलव्य बालिका आवासीय विद्यालय, जामई

तामियां + पचमढी मार्ग की जानकारी

क.	पार्लर का नाम	क्षेत्र
1.	साहू किराना न्यूटन	न्यूटन, बिजौरी, तामिया, कुंआ बादला, देलाखारी, मटकूली, संपूर्ण पचमढी क्षेत्र।
2.	हर-हर नर्मदे बिजौरी	
3.	भाईजान बिजौरी	
4.	अनुपम वस्त्रालय, तामिया	
5.	साखी डेली नीड्स तामिया	
6.	प्रशांत ढाबा, तामिया	
7.	विकास ढाबा, कुंआ बादला	
8.	मोनू देलाखारी	
9.	कमलेश डेलीनीड्स, देलाखारी	
10.	पंडित जी झीरपा	
11.	धर्मू राय मटकूली	
12.	जावेद खान पचमढी	
13.	बसंत साहू पचमढी	
14.	मनोज राय पचमढी	
15.	मनीष साहू पचमढी	
16.	बाबा साहू पचमढी	
17.	प्रकाश यादव पचमढी	
18.	जाहिर भैया पचमढी	
19.	अंकुश पचमढी	
20.	अनुपम साहू पचमढी	
21.	पी.टी.एस. पार्लर पचमढी	
	संस्थाएँ:-	ए.एस.सी. पचमढी, एम.पी. टूरिज्म होटल्स।

शपथ-पत्र रु. (रु. 100 / – के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं..... निवासी.....जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत डेयरी संयंत्र, छिंदवाड़ा(मार्ग का नाम) से संबंधित प्रस्तावित मार्ग में दूध एवं दुग्ध उत्पादों के वितरक सह परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि मैं/हम निविदा में सफल होता हूँ/हैं तो नवीन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व 10 (दस) स्वयं हस्ताक्षरित रेखांकित चैक दुग्ध संघ के हित में जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, दुग्ध संयंत्र, छिंदवाड़ा कार्यालय में जमा कर दूँगा। जिसका उपयोग भविष्य में अनुबंध की कंडिका क्र. 39 के अवहेलना करने पर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के लंबित भुगतान हेतु जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा किया जा सकता है। उक्त के लिये मैं स्वेच्छा से अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----

हस्ताक्षर-----



This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<https://www.win2pdf.com/purchase/>